आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन से आयकर में कटौती

परिपत्र सं. 3/2025 [फा. सं. 275/107/2024-आईटी (ख)], दिनांक 20-2-2025

संदर्भ के लिए परिपत्र संख्या 24/2022, दिनांक 7-12-2022 का उल्लेख किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 192 के तहत "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर कटौती की दरों की जानकारी दी गई थी। उक्त परिपत्र में अधिनियम और आयकर नियम, 1962 (जिसे आगे "नियम" कहा जाएगा) के कुछ संबंधित प्रावधानों की भी व्याख्या की गई थी।

वर्तमान परिपत्र में किए गए संशोधन शामिल हैं वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024, वित्त (सं. 1) अधिनियम 2024 और वित्त अधिनियम 2023, अधिनियम की धारा 192 के तहत "वेतन" शीर्षक के तहत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरों के संबंध में। जहां उपरोक्त अधिनियमों द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है, वहां परिपत्र संख्या 24/2022 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू रहेगा। 2024-25. संबंधित अधिनियम, नियम, फॉर्म और अधिसूचनाएं इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट-www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

किए गए संशोधन वित्त (सं. 2) 2024 का अधिनियम, वित्त (सं. 1) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 102 के तहत "वेतन" शीर्षक के तहत आय के भुगतान से आयकर की कटौती की दरों के संबंध में 2024 का अधिनियम और 2023 का वित्त अधिनियम

1. "वेतन" शब्द को अधिनियम की धारा 15 में परिभाषित किया गया है। धारा 17 में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 17 (1) में संशोधन के अनुसार, "वेतन" में निम्नलिखित शामिल हैं:

". . . .

(ix) धारा80 गगज में संदर्भित अग्निपथ योजना में नामांकित व्यक्ति के अग्निवीर कॉर्पस फंड खाते में केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष में किया गया योगदान। . . . "

2. वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 17(2) में संशोधन के अनुसार, "अनुलाभ" में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

". . . .

(*i*) *नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान की गई किराया-मुक्त आवास का मूल्य [निर्धारित तरीके से गणना की जाएगी];*

(*ii*) *नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रियायती दर पर प्रदान किए गए आवास का मूल्य... "*

3. संशोधन के अनुसार वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में लागू अधिभार (पुरानी कर व्यवस्था के तहत) से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	*कुल आय*	*पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स की राशि पर अधिभार दर*
(*क*)	50 लाख रुपये से अधिक < 1 करोड़ रुपये (धारा 111क, 112, 112क या लाभांश आय सहित)	10%
(*ख*)	1 करोड़ रुपये से अधिक < 2 करोड़ रुपये (धारा 111क, 112, 112क या लाभांश आय सहित)	15%
(*ग*)	2 करोड़ रुपये से अधिक < 5 करोड़ रुपये (धारा U1क, 112, 112क या लाभांश आय को छोड़कर)	25%

(*घ*)	5 करोड़ रुपये से अधिक (धारा 111क, 112, 112क या लाभांश आय को छोड़कर)	37%
(*ङ*)	2 करोड़ रुपये से अधिक (धारा 111क, 112, 112क या लाभांश आय सहित), जो (*ग*) और (*घ*) में शामिल नहीं	15%

4. संशोधन के अनुसार फाइनेंस (सं. 2) धारा 115खकग के संबंध में अधिनियम, 2024, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर की दरें (नई कर व्यवस्था के तहत) (*अर्थात* मूल्यांकन वर्ष 2025-26) इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	*कुल आय*	*कर की दर*
1.	3,00,000 रु. तक	शून्य
2.	3,00,001 रु. से 7,00,000 रु. तक	5 प्रतिशत
3.	7,00,001 रु. से 10,00,000 रु. तक	10 प्रतिशत
4.	10,00,001 रु. से 12,00,000 रु. तक	15 प्रतिशत
5.	12,00,001 रु. से 15,00,000 रु. तक	20 प्रतिशत
6.	15,00,000 रु. से अधिक	30 प्रतिशत

इसके अतिरिक्त, धारा 115खकग की उप-धारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति की कुल आय की गणना निम्नानुसार की जाएगी—

(*i*) *खंड (5) या खंड (13क) के प्रावधानों के तहत किसी भी छूट या कटौती के बिना या खंड (14) (उन लोगों के अलावा जो उन्होंने इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किए हैं) या खंड (17) या खंड (32), धारा 10 या धारा 10कक या खंड (ii) के तहत निर्धारित किया गया है)* या खंड (*iii* धारा 16 या खंड (*ख*) की धारा 24 है [धारा 32 की उप-धारा (1) की उप-धारा (2) या खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कख या उप-खंड (iiक) में निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में *II)* या उप-धारा (1) का उप-खंड (iiक) या उप-खंड (iii) या धारा 35 की उप-धारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या अध्याय 6-क के किसी भी प्रावधान के तहत या धारा 80गगघ की उप-धारा (2) या धारा 80ञञकक की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अलावा कोई छूट या कटौती नहीं।

(*ii*) बिना किसी भी हानि के समायोजन के,—

(*क*) पिछले निर्धारण वर्ष से आगे लाई गई हानि या मूल्यह्रास, यदि वह हानि या मूल्यह्रास खंड (*i*) में उल्लिखित कटौतियों के कारण हो;

(*ख*) "गृह संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत किसी अन्य आय शीर्षक के साथ;

(*iii*) धारा 32 के किसी भी प्रावधान के तहत मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का दावा करके। (*iiक*) खंड को छोड़कर, जैसा कि निर्धारित तरीके से तय किया जाए;

और

(*iv*) किसी भी अन्य कानून के तहत प्रदान किए गए भत्ते या अनुलाभ के लिए किसी भी छूट या कटौती के बिना, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।

5. किए गए संशोधन के अनुसार वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024, धारा 192 (2ज) को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

". . . . . (2ख) जहां कोई करदाता, जो 'वेतन' शीर्षक के तहत कर योग्य आय प्राप्त करता है, के पास उसी वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित भी हैं।

(*i*) *किसी अन्य आय शीर्षक के तहत कर योग्य आय (जो 'मकान संपत्ति से आय' शीर्षक के तहत हानि को छोड़कर अन्य हानि नहीं है); या*

(*ii*) *इस अध्याय के भाग ख या भाग खख के प्रावधानों के तहत काटा गया या संग्रहित किया गया कोई कर,*

उसी वित्तीय वर्ष के लिए, वह उप-धारा (I) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को-के विवरण भेज सकता है

(*क*) *ऐसी अन्य आय*

(*ख*) *इस अध्याय के भाग ख या भाग खख के किसी अन्य प्रावधान के तहत काटा या संग्रहित किया गया कोई कर; और*

(*ग*) *"घर की संपत्ति से आय" शीर्षक के तहत हानि, यदि कोई हो*

निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से सत्यापित, और इसके बाद उपरोक्त जिम्मेदार व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खंड (क), (ख) और (*ग*) में उल्लिखित विवरण को ध्यान में रखेगा;

बशर्ते *यह उप-धारा किसी भी स्थिति में 'वेतन' शीर्षक के तहत आय से काटे जाने वाले कर को कम करने का प्रभाव नहीं डालेगी, सिवाय इसके कि 'मकान संपत्ति से आय' शीर्षक के तहत हानि और भाग ख के अन्य प्रावधानों के अनुसार काटा गया कर और भाग खख के प्रावधानों के अनुसार संग्रहित कर को ध्यान में लिया गया हो।*]

6. प्रपत्र सं. 16 में संशोधन किया गया है आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2023, 1-7-2023 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू होगा। प्रपत्र सं. 16 को आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2024 के माध्यम से दिनांक 15-10-2024 से आगे संशोधित किया गया है। 15-10-2024. संशोधित प्रपत्र सं. 16 को अनुलग्नक-क में रखा गया है।

7. प्रपत्र सं. 24क्यू में किए गए संशोधन निम्नलिखित हैं:

(*i*) अनुलग्नक-I में : टीडीएस का कटौतीकर्ता-वार विवरण में, *स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर* "शिक्षा उपकर" के लिए प्रतिस्थापित किया गया है।

(*ii*) *अनुलग्न-II: वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए या क्रेडिट किए गए वेतन का विवरण. . . . . और शुद्ध कर देय (धारा 192 के तहत)* को संशोधित किया गया है, जो 1-7-2023 से प्रभावी है। 1-7-2023.

इसके अतिरिक्त, संशोधन किया गया है **फॉर्म सं. 24क्यू** आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार, 15-10-2024 से प्रभावी:

(*i*) अनुलग्नक-II में, कॉलम सं. 388क - *'धारा 192 (2 ख) के अनुसार रिपोर्ट की गई राशि, अन्य स्रोत से काटा गया कर या संग्रहित कर, (388) को छोड़कर'* जोड़ा गया है।

8. संशोधन के अनुसार आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2023 के माध्यम से दिनांक 1-9-2023 से किए गए संशोधन के अनुसार, किसी अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए आवास के संबंध में अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित नियम निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	*परिस्थितियाँ*	*जहां आवास साज-सज्जा रहित है*	*जहां आवास साज-सज्जा सहित हो*
(2)	*जहां आवास किसी अन्य नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है और—*		
	(क) जहां आवास नियोक्ता के स्वामित्व में है, या	*(i) 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का 10%;* *(ii) 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक लेकिन 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का*	*कॉलम (3) के तहत निर्धारित परिलब्धि का मूल्य और फर्नीचर की लागत (टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण, एयर-कंडीशनिंग प्लांट या उपकरण*

	7.5%; *(iii) अन्य क्षेत्रों में वेतन का 5%, जिस अवधि के दौरान उक्त आवास कर्मचारी द्वारा कब्जे में था, उस पिछले वर्ष के दौरान किराए में से, यदि कोई हो, वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया हो। वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाता है।*	*या अन्य समान उपकरण या गैजेट्स सहित) का प्रतिवर्ष 10% से बढ़ाया गया, या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया गया है, तो वास्तविक किराया शुल्क जो उसके लिए देय है, जिसमें से कर्मचारी द्वारा पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किए गए या देय किसी भी शुल्क को घटाया जाएगा।*
(ख) जहां आवास नियोक्ता द्वारा पट्टे या किराए पर लिया गया हो।	*नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई या देय पट्टा किराये की वास्तविक राशि या वेतन का 10%, जो भी कम हो, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में भुगतान किया गया किराया, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा।*	*कॉलम (3) के अंतर्गत निर्धारित अनुलाभ का मूल्य और पट्टे पर दिए गए फर्नीचर (जिसमें टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरण, एयर-कंडीशनिंग संयंत्र या उपकरण या अन्य समान उपकरण या गैजेट शामिल हैं) की लागत का 10% प्रति वर्ष या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्ष से किराए पर लिया जाता है, तो उसके लिए देय वास्तविक किराया प्रभार में से पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा उसके लिए भुगतान किए गए या देय किसी भी प्रभार को घटा दिया जाएगा।*

9. नियमों के नियम 3 के स्पष्टीकरण *(v)* में दी गई "दूरस्थ क्षेत्र" की परिभाषा को आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2023 के माध्यम से दिनांक 1-9-2023 नीचे दिए गए अनुसारः

'..*(v) "दूरस्थ क्षेत्र" का अर्थ उप-नियम (1) के प्रावधान के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो—*

(क) या की स्थानीय सीमाओं के भीतर

(ज) किसी भी नगरपालिका की स्थानीय सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी के अंदर या 2011 की जनगणना के आधार पर 1,00,000 या उससे अधिक की आबादी वाले छावनी बोर्ड के अंदर...'

10. खंड के अनुसार (*iii* नियम 3 के उप-नियम (7) के अनुसार, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किए गए मुफ्त भोजन और गैर-मादक पेय का मूल्य ऐसे नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि होगी। संशोधन के अनुसार आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2023 के माध्यम से दिनांक 21-6-2023, खंड (*iii* नियम 3 के उप-नियम (7) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा-

"**बशर्ते** *कि भुगतान किए गए वाउचर के माध्यम से नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन और गैर-मादक*

पेय के संबंध में पहले परंतुक के प्रावधान ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे, जो करदाता है, जिसने धारा 115 खकग की उप-धारा (5) के तहत विकल्प का प्रयोग किया है या जिसकी आय धारा 115 खकग की उप-धारा (1क) के तहत कर योग्य है। क) धारा 115 खकग की है।"

11. सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में अवकाश नकदीकरण की छूट सीमा बढ़ाकर 25,00,000 रूपये कर दी गई है सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 31/2023 दिनांकित 24-5-2023 तदनुसार, गैर-सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण की छूट निम्नलिखित में से जो भी कम हो:

कर्मचारी के खाते में सेवानिवृत्ति के समय उपलब्ध अर्जित अवकाश की अवधि के आधार पर औसत मासिक वेतन।
औसत मासिक वेतन x 10 (*अर्थात,* 10 महीने का औसत वेतन)।
केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि, *अर्थात,* 25,00,000 रूपये।
सेवानिवृत्ति के समय वास्तव में प्राप्त अवकाश नकदीकरण।

यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से अवकाश वेतन प्राप्त करता है, तो धारा 10(10कक)(*ii*) के तहत छूट की अधिकतम राशि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट राशि (*अर्थात* 25,00,000 रूपये) से अधिक नहीं होगी। जहां किसी कर्मचारी ने किसी भी पिछले वर्षों में इस धारा के तहत छुट्टी वेतन की छूट का दावा किया है, तो ऐसे कर्मचारी के मामले में, अधिकतम सीमा (*अर्थात*, 25,00,000 रूपये) से पहले दावा की गई छूट की राशि को घटाया जाएगा।

12. वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से धारा 10 में उप-धारा (12ग) जोड़ी गई है। अधिनियम की धारा 10(12ग) के तहत, अग्निपथ योजना में नामांकित व्यक्ति को या उसके नामांकित व्यक्ति को अग्निवीर कॉर्पस फंड से कोई भी भुगतान कर मुक्त होगा। धारा 10(12ग) निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत की जाती है:

"*(12ग) अग्निपथ योजना के तहत नामांकित व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को अग्निवीर कॉर्पस फंड से कोई भी भुगतान।*

स्पष्टीकरण। - *इस खंड के प्रयोजनों के लिए "अग्निवीर कॉर्पस फंड" और "अग्निपथ योजना" का वही अर्थ होगा जो उन्हें धारा 80 सीसीएच में क्रमशः सौंपा गया है;* "

13. धारा 87क व्यक्तिगत करदाताओं, भारत में रहने वाले, जो कम आय वर्ग में हैं, को छूट के रूप में राहत प्रदान करती है *अर्थात* जिनकी कुल आय 5,00,000 रूपये से कम है। धारा 87क के तहत छूट की राशि 12, 500/- रुपये या देय टैक्स की राशि, जो भी कम हो। वित्त अधिनियम, 2023 के संशोधन के अनुसार, 1-4-2024, प्रभावी, धारा 87क में प्रावधान जोड़ा गया है और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

". . . . . **बशर्ते** *कि जहां निर्धारिती की कुल आय धारा 115 खकग की उप-धारा (1क) के तहत कर योग्य हो, और कुल आय—*

(*क*) *सात लाख रुपये से अधिक नहीं है, करदाता अपनी कुल आय पर किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए देय आयकर की राशि से (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले गणना की गई) ऐसे आयकर का शत-प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, की कटौती का हकदार होगा;*

(*ख*) *सात लाख रुपये से अधिक है और ऐसी कुल आय पर देय आयकर उस राशि से अधिक है जिससे कुल आय सात लाख रुपये से अधिक है, करदाता अपनी कुल आय पर आयकर की राशि से (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले गणना की गई) उस राशि के बराबर की कटौती का हकदार होगा जिससे ऐसी कुल आय पर देय आयकर उस राशि से अधिक है जिससे कुल आय सात लाख रुपये से अधिक है।*

14. 'वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से 'अग्निपथ योजना में योगदान के संबंध में कटौती' से संबंधित धारा 80गगज

जोड़ी गई है। तदनुसार, पैराग्राफ 5.5.3 के पैराग्राफ सं. 11 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ संख्या 12 जोड़ा गया है और इसे निम्नलिखित हैः

"*80 गगज (1) जहां कोई करदाता, जो अग्निपथ योजना में नामांकित व्यक्तिगत है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके बाद उक्त फंड में अपने खाते में किसी राशि का भुगतान या जमा करता है, उसे अपनी कुल आय की गणना में इस प्रकार भुगतान की गई या जमा की गई संपूर्ण राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।*

(2) जहां केंद्र सरकार उप-धारा (1) में संदर्भित अग्निवीर कॉर्पस फंड में करदाता के खाते में कोई योगदान करती है, करदाता को अपनी कुल आय की गणना में इस प्रकार योगदान की गई संपूर्ण राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण।- *इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —*

(*क*) *"अग्निपथ योजना" का अर्थ है भारतीय सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए शुरू की गई योजना जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(23)2022/डी(वेतन/सेवाएं), दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के माध्यम से शुरू की गई;*

(*ख*) *"अग्निवीर कॉर्पस फंड" वह फंड है जिसमें सभी अग्निवीरों के समेकित योगदान और केंद्र सरकार के मिलान योगदान के साथ-साथ दोनों पर ब्याज रखा जाता है।"*

15. *टीडीएस में डिफ़ॉल्ट पर दंड और अभियोजन के प्रावधानों में संशोधन -*

(*i*) वित्त अधिनियम, 2023 के अनुसार, 'स्रोत पर टैक्स कटौती करने में विफलता के लिए दंड' पर धारा 271ग में संशोधन किया गया है। धारा 271ग में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर संपूर्ण या किसी भी भाग के कर की कटौती करने में विफल रहता है या धारा 194ख के परंतुक (दिनांक *1-4-2023 से प्रभावी), धारा 194 खक की उप-धारा* (2) (दिनांक 1-7-2023 से प्रभावी) के तहत कर के संपूर्ण या किसी भी भाग का भुगतान करने या भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहता है, तो वह दंड के रूप में उसके द्वारा कटौती न की गई या भुगतान न की गई या भुगतान सुनिश्चित न की गई कर की राशि के बराबर राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(*ii*) वित्त अधिनियम, 2023 के अनुसार, 'अध्याय XII-घ या XVII-ख के तहत केंद्र सरकार को कर का भुगतान करने में विफलता' पर धारा 276ख में संशोधन किया गया है। धारा 276ख में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार के खाते में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसके द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर या उसके द्वारा देय कर का भुगतान करने में या धारा 194ज के परंतुक (दिनांक 1-04-2023 से प्रभावी), या धारा 194खक(2) (दिनांक 1-7-2023 से प्रभावी) के तहत कर के भुगतान को सुनिश्चित करने में विफल रहता है, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।"

(*iii*) इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से धारा 276ख में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया है: 2) अधिनियम, 2024:

"**बशर्ते** *कि कि इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि खंड (क) में निर्दिष्ट भुगतान)* भुगतान धारा 200 की उप-धारा (3) के तहत ऐसे भुगतान के लिए विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय पर या उससे पहले केंद्र सरकार के खाते में किया गया हो।"

16. *विविध*

16.1 ये निर्देश विस्तृत नहीं हैं और केवल नियोक्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए जारी किए गए हैं। जहां कहीं भी कोई संदेह है, आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियम, 1962, कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का संख्या 38), उपरोक्त संदर्भित वित्त अधिनियमों, संबंधित परिपत्र अधि

सूचनाओं आदि के प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है।

16.2 यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी सहायता की आवश्यकता होती है, तो आय-कर विभाग के निर्धारण अधिकारी/स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

16.3 इन निर्देशों को केंद्र/राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले सहित सभी संवितरण अधिकारियों और उपक्रमों के ध्यान में लाया जा सकता है।

16.4 इस परिपत्र की प्रतियां निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं: www.finmin.nic.in और www.incometaxmdia.gov.in

रूबल सिंह
उप सचिव
(आईटी-बजट), सीबीडीटी

■■